न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 394/2024	दायर दिनांक 28.11.2024	तारीख फैसला 05.05.2025

1. मनफूली देवी पत्नि नाथूलाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम जारूण्डा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र गोदूराम
2. जगदीश पुत्र भौरीलाल
3. रामचन्द्र पुत्र भौरीलाल
4. रामप्रताप पुत्र भौरीलाल
5. सीताराम पुत्र भौरीलाल
6. उगन्ती पुत्री भौरीलाल
7. लाडा पुत्री भौरीलाल

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम
बाबत नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर में नवीन खसरा नम्बर 1617/22 रकबा 0.4700है0 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 20 थे जिसका सभी खातेदारों ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे सहमति से तकासमा करवा लिया है और जिसके तकासमा बाद बने खसरा नम्बर 20/1, 20/2, 20/3 जिसमे 20/1 का खातेदार भौरीलाल पुत्र गोदाराम, 20/2 का खातेदार कल्याण पुत्र गोदूराम, 20/3 का खातेदार किशनलाल पुत्र गोदूराम हुये जिसके बाद किशनलाल पुत्र गोदूराम ने प्रार्थीया मनफूली देवी पत्नि नाथूलाल को अपनी सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 20/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का बैचान कर दिया जिस पर बैचान के बाद से प्रार्थीया काबिज काश्त होकर काश्त करती चली आ रही है और उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है। सेटलमेंट के दोरान प्रार्थीया की कब्जे काश्त की भूमि को अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के स्थान पर व अप्रार्थी सं0 1 की भूमि को प्रार्थीया सं0 1 की भूमि के स्थान पर तरमीम कर दिया गया जो कि गलत है क्योकि प्रार्थीया पूर्व हेये तकासम के आधार पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है और काश्त कर रही है जिसके विपरित जाते हुये प्रार्थीया की भूमि को अप्रार्थी सं0 1 की भूमि पर नक्शे में तरमीम कर दिया जो प्रार्थीया की भूमि का विना नक्शा देखें व बिना मौके की जॉच किये तरमीम किया गया है। जिसका दुरूस्त करवाने का प्रार्थीया को हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया की भूमि स्थित ग्राम आधी तहसील आंधी के वर्तमान खसरा नम्बर 1617/22 रकबा 0.4700है0 को वर्तमान नक्शें में पूर्व तकासमा शुदा नक्शें के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 8 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2025 /158 दिनांक 20.03.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम आंधी तहसील आंधी में स्थित खसरा नम्बर 1617/22 रकबा 0.47है0 किस्म चाही 2 खातेदार मनफूली पत्नी नाथूलाल हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 जारूण्डा के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के साबिक खसरा नम्बर 20 के सह खातेदार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे अपनी सहमति से उक्त साबिक खसरा नम्बर 20 का विभाजन करवाया गया था जिसमें किशनलाल पुत्र गोदूराम को खसरा नम्बर 20/3 भौरीलाल पुत्र गोदूराम को खसरा नम्बर 20/1 कल्याण पुत्र गोदूराम खसरा नम्बर 20/2 कायम किये गये थे तथा आपसी सहमति विभाजन के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। सैटलमेंट के दौरान उक्त साबिक खसरा नम्बर 20 के नवीन खसरा नम्बर 22 कायम किये गये एव उक्त आपसी सहमति विभाजन का अमल करते हुए खसरा नम्बर 22 को विभाजित कर खसरा नम्बर 1617/22, 1618/22, 1619/22 कायम किये गये जिसकी तरमीम सेटलमेंट के पश्चात नक्शें मे की गई। परन्तु नक्शे में तरमीम पूर्व में आपसी सहमति विभाजन के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार नही करके गलत कम में नम्बर अंकित कर दिये गये है। जिनको पूर्व विभाजनानुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। वादी मनफूली देवी पत्नि नाथूलाल जाति बलाई द्वारा कय की हुई भूमि है। संलग्न नजरी नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1617/22 रकबा 0.4700है0 को वर्तमान नक्शे को पूर्व तकासमा शुदा नक्शें अनुसार प्रस्तावित नक्शें अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर